



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267458
CG-DL-E-07112025-267458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4908]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947

No. 4908]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

का.आ. 5063(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 5023(अ) तारीख 04 नवम्बर 2025, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखंड (ii) तारीख 04 नवम्बर 2025 में प्रकाशित की गई थी, को विखंडित करती है।

[फा. सं. 2-6/2021-यू.2]

रीना सोनोवाल कौलि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2025

S.O. 5063(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) and (3), of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Education, Department of Higher Education, number S.O. 5023 (E), dated the 4th November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th November, 2025.

[F. No. 2-6/2021-U. II]

RINA SONOWAL KOULI, Jt. Secy.